

अब समंस की राह डिजिटल : दुर्ग जिला न्यायालय में ई-समंस प्रणाली पर कोर्ट मोहरिरीं का प्रशिक्षण

कागज से क्लिक तक
न्यायिक प्रक्रिया को
तेज, पारदर्शी और
तकनीक-सक्षम बनाने
की दिशा में दुर्ग जिला
न्यायालय की नई पहल
समवेत शिखर संवाददाता



दुर्ग। न्याय व्यवस्था में तकनीक अब केवल भविष्य की बात नहीं रही—वह आज की न्यायिक कार्यप्रणाली का हिस्सा बन रही है। इसी बदलाव को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की दिशा में दुर्ग जिला न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए न्यायालय के समस्त कोर्ट मोहरिरीं को ई-समंस प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान किया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के. विनोद कुजूर के

मुख्य मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट था समंस की पारंपरिक प्रक्रिया को तकनीक की गति से जोड़ना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक स्मार्ट, तेज एवं ट्रैक करने योग्य बनाना। प्रशांत पाराशर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के मार्गदर्शन में श्री रवि कुमार महोबिया, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग द्वारा ई-समंस प्रणाली पर विस्तृत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से

कोर्ट मोहरिरीं को प्रणाली के विभिन्न चरणों और न्यायालयीन कार्य में इसके प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई।

समंस अब सिर्फ कागज नहीं, डिजिटल ट्रैकिंग का हिस्सा : प्रशिक्षण के दौरान कोर्ट मोहरिरीं को ई-समंस प्रणाली के व्यावहारिक उपयोग से अवगत कराया गया। इसमें ई-समंस तैयार करना, संबंधित पक्षकार अथवा गवाह को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करना, उसकी डिलीवरी की स्थिति देखना

तथा प्राप्त डिजिटल डिलीवरी रिपोर्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का सुरक्षित संधारण शामिल रहा। यानी, समंस भेजने से लेकर उसकी डिलीवरी तक की प्रक्रिया अब अधिक व्यवस्थित और डिजिटल रूप से ट्रैक की जा सकेगी। ई-समंस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी गति और पारदर्शिता है। पारंपरिक प्रक्रिया में जहां समंस की सेवा और उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में समय लग सकता है, वहीं डिजिटल माध्यम प्रक्रिया को अधिक त्वरित और ट्रैक करने योग्य बनाने में मदद करता है। इससे न्यायालयीन कार्यप्रणाली में समय की बचत, प्रक्रिया की पारदर्शिता और कार्य की दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। Training नहीं, Digital Transition यह प्रशिक्षण केवल किसी नई प्रणाली को चलाना सीखने तक सीमित नहीं रहा।

न्यायश्रुति: जब साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया डिजिटल होती है....

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में न्यायश्रुति एवं ई-साक्ष्य पर विशेष प्रशिक्षण-सह-प्रस्तुतीकरण

दुर्ग (साइट ऑफ टूथ)

न्यायालय सिर्फ फाइलों और कागजों तक सीमित नहीं है। गवाही डिजिटल माध्यम से दर्ज हो सकती है, उपस्थिति ऑनलाइन सुनिश्चित हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य न्यायिक कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। इसी बदलती न्यायिक कार्यप्रणाली को समझने और उसे व्यवहार में प्रभावी ढंग से अपनाने को दिशा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में आज न्यायश्रुति एवं ई-साक्ष्य विषय पर विशेष प्रशिक्षण-सह-प्रस्तुतीकरण आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें

समस्त न्यायाधीशगण ने सहभागिता की। Technology in Courtroom: अब सिर्फ भविष्य नहीं, वर्तमान है

नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हो रही है। इसी संदर्भ में कार्यक्रम में न्यायश्रुति एप्लिकेशन तथा ई-साक्ष्य के व्यावहारिक उपयोग पर विशेष फोकस रखा गया। प्रशांत पाराशर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा श्री दीपक कुमार कोशले, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में श्री रवि कुमार महोदय, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं था कि तकनीक क्या है, बल्कि यह

समझाना था कि - इसे न्यायालयीन कार्यवाही में वास्तव में इस्तेमाल कैसे किया जाए?

न्यायश्रुति: जब साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया डिजिटल होती है

प्रस्तुतीकरण में न्यायश्रुति एप्लिकेशन के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने तथा ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया। विभिन्न प्रक्रियाओं को व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिससे न्यायिक अधिकारियों को एप्लिकेशन की कार्यप्रणाली को अधिक सरल और प्रभावी ढंग से समझने में

सहायता मिली। यानी बात सिर्फ एप्लिकेशन की नहीं थी - बात थी Courtroom Workflow। E-Sakshya: डिजिटल साक्ष्य आया, अब उसकी न्यायिक यात्रा भी समझना जरूरी

कार्यक्रम में ई-साक्ष्य के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद उसके न्यायिक कार्यवाही में उपयोग से संबंधित प्रक्रिया पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। डिजिटल साक्ष्य से जुड़े तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं को उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया, ताकि न्यायिक अधिकारी उसके उपयोग की प्रक्रिया को व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझ सकें।

सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा— सवाल पूछे गए

प्रस्तुतीकरण को केवल onfe-way presentatinf नहीं रखा गया। न्यायिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न तकनीकी एवं व्यवहारिक प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित प्रक्रिया, संभावित व्यावहारिक परिस्थितियाँ और उनके समाधान से जुड़े पहलुओं को स्पष्ट किया गया।

यही संवाद इस प्रशिक्षण की विशेषता सह - Technfology को समझना और फिर उसे courtroom situatinf से जोड़कर देखना।

न्यायश्रुति और ई-साक्ष्य पर आयोजित यह विशेष प्रस्तुतीकरण न्यायिक प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के प्रभावी समावेश को दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। इसका व्यापक उद्देश्य स्पष्ट है - तकनीक तथा न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाती है, जब उसे सही प्रक्रिया, सही समझ और सही तरीके से न्यायिक कार्यवाही में अपनाया जाए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग द्वारा न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निरंतर क्षमता-विकास और तकनीक-सक्षम न्यायिक कार्यप्रणाली के लिए आयोजित किए जा रहे ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम न्याय व्यवस्था को बदलती तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

C
M
K

ई-समंस प्रणाली पर कोर्ट मोहरिरों का प्रशिक्षण

नईदुनिया(वि.), दुर्ग : न्याय व्यवस्था में तकनीक अब केवल भविष्य की बात नहीं रही, वह आज की न्यायिक कार्यप्रणाली का हिस्सा बन रही है। इसी बदलाव को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की दिशा में दुर्ग जिला न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए न्यायालय के समस्त कोर्ट मोहरिरों को ई-समंस प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य समंस की पारंपरिक प्रक्रिया को तकनीक की गति से जोड़ना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक स्मार्ट तेज एवं ट्रैक करने योग्य बनाना था।

कागज से क्लिक तक न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की पहल

समंस की राह हुई डिजिटल, कोर्ट मोहर्रिरो को दिया गया प्रशिक्षण

हरिभूमि न्यूज ॥ दुर्ग

याय व्यवस्था में तकनीक अब केवल भविष्य की बात नहीं रही, वह आज की न्यायिक कार्यप्रणाली का हिस्सा बन रही है। इसी बदलाव को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की दिशा में दुर्ग जिला न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए न्यायालय के समस्त कोर्ट मोहर्रिरो को ई-समंस प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान किया।

जिला न्यायाधीश के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट था समंस की पारंपरिक प्रक्रिया को तकनीक की गति से जोड़ना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक स्मार्ट, तेज एवं ट्रैक करने योग्य बनाना। न्यायाधीश प्रशांत पाराशर, रवि कुमार महोबिया ने ई-समंस प्रणाली पर विस्तृत एवं



व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कोर्ट मोहर्रिरो को प्रणाली के विभिन्न चरणों और न्यायालयीन कार्य में इसके प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान कोर्ट

मोहर्रिरो को ई-समंस प्रणाली के व्यावहारिक उपयोग से अवगत कराया गया। इसमें ई-समंस तैयार करना, संबंधित पक्षकार अथवा गवाह को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करना, उसकी डिलीवरी की

स्थिति देखना तथा प्राप्त डिजिटल डिलीवरी रिपोर्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का सुरक्षित संभारण शामिल रहा। यानी, समंस भेजने से लेकर उसकी डिलीवरी तक की प्रक्रिया अब अधिक व्यवस्थित और डिजिटल रूप से ट्रैक की जा सकेगी। ई-समंस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी गति और पारदर्शिता है।

पारंपरिक प्रक्रिया में जहां समंस की सेवा और उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में समय लग सकता है, वहीं डिजिटल माध्यम प्रक्रिया को अधिक त्वरित और ट्रैक करने योग्य बनाने में मदद करता है। इससे न्यायालयीन कार्यप्रणाली में समय की बचत, प्रक्रिया की पारदर्शिता और कार्य की दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

तकनीकी पहलुओं से कराया गया अवगत

प्रशिक्षण केवल किसी नई प्रणाली को चलाना सीखने तक सीमित नहीं रहा। कोर्ट मोहर्रिरो को प्रणाली का व्यावहारिक प्रदर्शन कराया गया, ताकि वे वास्तविक न्यायालयीन कार्य में ई-समंस का प्रभावी और सुचारु उपयोग कर सकें। यह पहल इस बात का संकेत है कि न्यायालयीन व्यवस्था भी बदलती तकनीक के साथ कदम मिला रही है जहां फाइलों के साथ डिजिटल रिकॉर्ड, प्रक्रिया के साथ रियल टाइम ट्रैकिंग और पारंपरिक व्यवस्था के साथ तकनीकी उपयोगों के साथ न्याया आगे बढ़ रही है।

दुर्ग जिला न्यायालय में ई-समंस प्रणाली पर कोर्ट मोहर्रिों का हुआ प्रशिक्षण

कागज से क्लिक तक न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में दुर्ग जिला न्यायालय की नई पहल

दुर्ग। न्याय व्यवस्था में तकनीक अब केवल भविष्य की बात नहीं रही—वह आज की न्यायिक कार्यप्रणाली का हिस्सा बन रही है। इसी बदलाव को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की दिशा में दुर्ग जिला न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए न्यायालय के समस्त कोर्ट मोहर्रिों को ई-समंस प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान किया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के. विनोद कुजूर के मुख्य मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट था समंस की पारंपरिक प्रक्रिया को तकनीक की गति से जोड़ना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक स्मार्ट, तेज एवं ट्रैक करने योग्य बनाना।

प्रशांत पाराशर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के मार्गदर्शन में रवि कुमार महोबिया, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग द्वारा ई-समंस प्रणाली पर विस्तृत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कोर्ट मोहर्रिों को प्रणाली के विभिन्न



चरणों और न्यायालयीन कार्य में इसके प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान कोर्ट मोहर्रिों को ई-समंस प्रणाली के व्यावहारिक उपयोग से अवगत कराया गया। इसमें ई-समंस तैयार करना, संबंधित पक्षकार अथवा गवाह को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करना, उसकी डिलीवरी की स्थिति देखना तथा प्राप्त डिजिटल डिलीवरी रिपोर्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का सुरक्षित संधारण शामिल रहा। यानी, समंस भेजने से लेकर उसकी डिलीवरी तक की प्रक्रिया अब अधिक व्यवस्थित और डिजिटल रूप से ट्रैक की जा सकेगी।

ई-समंस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी गति और पारदर्शिता है। पारंपरिक प्रक्रिया में जहां समंस की सेवा और उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त

करने में समय लग सकता है, वहीं डिजिटल माध्यम प्रक्रिया को अधिक त्वरित और ट्रैक करने योग्य बनाने में मदद करता है। इससे न्यायालयीन कार्यप्रणाली में समय की बचत, प्रक्रिया की पारदर्शिता और कार्य की दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षण केवल किसी नई प्रणाली को चलाना सीखने तक सीमित नहीं रहा। कोर्ट मोहर्रिों को प्रणाली का व्यावहारिक प्रदर्शन कराया गया, ताकि वे वास्तविक न्यायालयीन कार्य में ई-समंस का प्रभावी और सुचारु उपयोग कर सकें। दुर्ग जिला न्यायालय की यह पहल न्याय व्यवस्था में हो रहे उस बदलाव की कहानी है, जहां तकनीक का उद्देश्य केवल व्यवस्था को आधुनिक बनाना नहीं, बल्कि न्याय तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को सरल, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाना है।

Durg District Court trains Court Moharrirs in e-Summons system

■ Staff Reporter
DURG, Oct 6

TAKING a decisive step towards implementing the changes brought by technology at the ground level, the Durg District Court conducted comprehensive training for all Court Moharrirs on the operation of the e-Summons system. Organised under the primary guidance of Principal District and Sessions Judge K Vinod Kujur, the training carried a clear objective: aligning traditional summons delivery with technological speed to make judicial proceedings smarter, expedited, and fully trackable.

Under the supervision of Second Additional District and Sessions Judge Prashant Parashar, practical instructions were delivered by the Civil Judge (Senior Division) Ravi Kumar Mahobiya,. Through detailed presentations, the Court Moharrirs were guided through



Court Moharrirs being imparted training.

each operational phase of the system and its effective integration into court workflows. The practical sessions trained staff to draft electronic summonses, dispatch them digitally to litigants and see, monitor real-time delivery status, and securely maintain digital acknowledgment receipts alongside electronic archives.

Notably, the core advantage of the e-Summons infrastructure lies in its speed and operational transparency. While physical delivery traditionally experi-

enced procedural bottlenecks and delayed reporting, electronic serving expedites compliance, cuts delays in court hearings, and boosts administrative efficiency across registries.

Moving beyond basic instructional orientation, the workshop provided direct hands-on demonstrations, ensuring personnel can independently navigate the digital portal in daily court proceedings. This rollout highlights an evolving judiciary keeping pace with modern governance.

अब समंस की राह डिजिटल क्लिक से होगी पूरी प्रक्रिया

■ दुर्ग जिला न्यायालय में ई-समंस प्रणाली पर कोर्ट मोहरिरीं का प्रशिक्षण

दुर्ग/नवप्रदेश। न्याय व्यवस्था में तकनीक अब भविष्य की बात नहीं, बल्कि वर्तमान की जरूरत बन चुकी है। इसी दिशा में दुर्ग जिला न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक तेज, पारदर्शी एवं तकनीक-सक्षम बनाने की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। न्यायालय के समस्त कोर्ट मोहरिरीं को ई-समंस प्रणाली का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसका उद्देश्य समंस की पारंपरिक प्रक्रिया को डिजिटल तकनीक से जोड़ते हुए उसकी पूरी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, त्वरित और निगरानी योग्य बनाना है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के. विनोद कुजूर के मुख्य मार्गदर्शन में आयोजित प्रशिक्षण में समंस जारी करने से लेकर उसकी सेवा और डिजिटल अभिलेख के सुरक्षित संधारण तक की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत पाराशर के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी श्री रवि कुमार महोबिया ने ई-समंस प्रणाली का विस्तृत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया।

समंस भेजने से लेकर डिलीवरी तक निगरानी: प्रशिक्षण के दौरान कोर्ट मोहरिरीं को ई-समंस तैयार करने, संबंधित पक्षकार अथवा गवाह को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से



प्रशिक्षण नहीं, न्याय व्यवस्था में बदलाव

यह प्रशिक्षण केवल नई प्रणाली के संचालन तक सीमित नहीं रहा। कोर्ट मोहरिरीं को इसका व्यावहारिक प्रदर्शन भी कराया गया, ताकि वे वास्तविक न्यायालयीन कार्य में इसका सुचारु और प्रभावी उपयोग कर सकें। दुर्ग जिला न्यायालय की यह पहल न्यायिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। अब कागजी प्रक्रिया के साथ डिजिटल अभिलेख, समंस के साथ उसकी डिजिटल निगरानी और पारंपरिक व्यवस्था के साथ तकनीक आधारित न्यायिक कार्यप्रणाली आगे बढ़ रही है। तकनीक का यह बदलाव न्याय तक पहुंचने की प्रक्रिया को सरल, तेज, पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

भेजने, उसकी सेवा की स्थिति देखने तथा डिजिटल डिलीवरी रिपोर्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया समझाई गई। इससे समंस की तामिली की स्थिति को अधिक आसानी से देखा और दर्ज किया जा सकेगा। पारंपरिक व्यवस्था में समंस की सेवा और उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है। ई-समंस प्रणाली इस प्रक्रिया को गति देने के साथ ही उसे अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में सहायक होगी।